इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 1 जनवरी 2018—पौष 11, शक 1939

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 4-7-2017-छब्बीस-2

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2018

माता—पिता और वरिष्ठं नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (क्रमांक 56 सन् 2007) की धारा 32 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश माता—पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण—पोषण तथा कल्याण नियम, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, -

- (1) नियम 2 में, उप—नियम (1) में, खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
 - "(घ क) शासकीय कर्मचारी से अभिप्रेत है -
 - (एक) मध्यप्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत् कोई शासकीय अधिकारी या कर्मचारी जो नियमित वेतनमान या संविदा पर नियुक्त किया गया है; या

- (दो) केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई अधिकारी या कर्मचारी जो राज्य सरकार से वेतन प्राप्त कर रहा है; या
- (तीन) राज्य सरकार के अर्द्ध—शासकीय उपक्रम एवं निगम या बोर्ड के अधीन कार्यरत् कोई अधिकारी या कर्मचारी; या
- (चार) राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन स्थानीय निकायों जैसे नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत का कोई अधिकारी या कर्मचारी; या
- (पांच) समस्त संस्थाओं के कोई अधिकारी या कर्मचारी, जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहीं है; ";
- (2) नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--

" 14 अधिकतम भरण-पोषण भत्ता -

अधिकतम भरण—पोषण भत्ता जो अधिकरण विरोधी पक्षकार को भुगतान करने का आदेश दे सकेगा, प्रतिमाह अधिकतम रूपये दस हजार के अध्यधीन होगा। ऐसी रीति में नियत किया जाएगा कि विरोधी पक्षकार की सभी स्त्रोतों से मासिक आय से अधिक न हो, उससे उनके परिवार के सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाएगा, आवेदक या आवेदकों की भी विरोधी पक्षकार के परिवार के सदस्य के रूप में गणना की जायेगी। यदि आवेदक के पुत्र या पुत्री या रिस्तेदार शासकीय सेवा में हो या उपक्रम/स्थानीय निकाय/संस्थाओं की सेवा में हो, तो अधिकरण नियोक्ता को आदेश द्वारा, उपरोक्त व्यक्तियों के मासिक वेतन से 10 प्रतिशत तक की राशि (अधिकतम 10 हजार रूपये तक) को काटने का, तथा काटी गई राशि प्रतिमाह आवेदक के बैंक खाते में सीधे जमा करने का, निदेश दे सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अलका श्रीवास्तव, अपर सचिव. No. F-4-7-2017-26-2

Bhopal, Dated 1st January 2018

In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 32 of the Maintenance and Welfare of parents and Senior Citizens Act, 2007 (No.56 of 2007), the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Rules, 2009 namely:

AMENDMENTS

In the said Rules:-

- (1) In rule 2, in sub rule (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(da) 'Government employee' means :-
 - (i) The Government Officer or employee working under the Government of Madhya Pradesh and who is appointed on regular pay scale or on contract basis; or
 - (ii) Any Officer or employee under the Central Government who is receiving Salary from the State Government; or
 - (iii) Any Officer or employee working under the Semi-Government undertaking and Corporation or Board of the State Government; or
 - (iv) Any Officer or employee of local bodies such as Municipal Corporation,

 Municipality, Zila Panchayat, Janpad Panchayat or Gram Panchayat

 under the control of the State Government; or
 - (v) Any Officer or employee of all Institutions who are receiving grant from the State Government;";

-(2) For rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-

" 14. Maximum maintenance allowance.

The maximum maintenance allowance which the Tribunal may order the opposite party to pay shall, subject to a maximum of rupees ten thousand per month, be fixed in such a manner that it does not exceed the monthly Income from all sources of the opposite party, divided by the number of persons in his family, counting the applicant or applicants also among the opposite party's family members. If the Son/Daughter or relative of the applicant is in Government Service or in Service of any undertaking/Local Bodies/Institutions, the Tribunal may by Order direct the employer to deduct upto 10 percent amount (subject to maximum of rupees 10,000/-) from the monthly Salary of the aforesaid persons and deposit the deducted amount every month directly in the Bank account of the applicant."

By Order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh, ALKA SHRIVASTAVA, Addl. Secy.